न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 223/2025 (GCMS : 2025/474)

1. **संदीप कुमार** पुत्र श्री लूणाराम जाति भाट निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. **सुरेन्द्र कुमार** पुत्र श्री लूणाराम जाति भाट निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. **सरोज** पुत्री श्री लूणाराम जाति भाट निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
4. **दुर्गा** पत्नी श्री लूणाराम जाति भाट निवासी सरदारगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **स्टेट ऑफ राजस्थान**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.05.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश बतरा उपस्थित हुए। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता ने अपने जवीनकाल में प्रकरण में विवादित जमीन की तमाम किश्तें जमा करवा दी थी तो दिनांक 03.04.1991 को 205/– रूपये ब्याज व 496/– रूपये मूल एवं दिनांक 21.08.1996 को तमाम किश्त 5289/– रूपये व ब्याज 5016 रूपये इस प्रकार से तमाम किश्त जमा करवा दी थी मगर जमीन की खातेदारी विभाग द्वारा जारी करनी थी मगर बिना प्रार्थीगण के पिता को सुने ही रकबा दिनांक 18.12.1996 को खारिज कर दिया ।

प्रार्थीगण के पिता दिनांक 19.09.1998 को स्वर्गवास हो गया था, उसके बाद जमीन प्रार्थीगण के पास कब्जा में है तथा प्रार्थीगण का भाई संदीप पढ़ा लिखा था तथा वही पैरवी करता था तथा प्रार्थीगण के भाई संदीप को पता चला कि उपरोक्त रकबा दिनांक 18.12.1996 को खारिज हो गया था, तो उसने श्रीमान्ज़ी के समक्ष दिनांक 13.05.2010 को प्रार्थना पेश किया लेकिन जनाबवाला द्वारा प्रार्थी के भाई को बिना सुने ही दिनांक 18.10.2011 को प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था।

उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण ने राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रकरण पेश करने पर, माननीय मण्डल ने प्रकरण श्रीमान न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया। जिस पर प्रार्थीगण ने दिनांक 14.07.2023 को श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया, परन्तु जिला अनूपगढ़ बन जाने के कारण श्रीमानजी द्वारा प्रकरण अनूपगढ में जिलाधीश के पास भेजा, जो जिलाधीश अनूपगढ में 293/2023 के रूप में दर्ज हुआ।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

कार्यवाही **शुरू की गयी,** लेकिन जिलाधीश, अनूपगढ़ का पद समाप्त होने के कारण प्रकरण श्रीमानजी के पास भेजी। मगर बाद में मिसल अतिरिक्त जिलाधीश, अनूपगढ़ के पास भेजी। इसलिए उक्त प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर निगरानी एलआर/42/2012 निर्णय दिनांक 10.01.2012 को अतिरिक्त जिलाधीश, अनूपगढ़ से मिसल तलब कर श्रीमानजी के न्यायालय में इस प्रकरण पर निर्णय किया जावे।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया और प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी ने इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.12.1996 के विरूद्ध माननीय मण्डल में निगरानी पेश की थी और माननीय मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.01.2012 द्वारा प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड किया था, जिस पर प्रकरण प्रार्थीगण का प्रकरण पुनः 2023 में इस न्यायालय में पेश किया और 2023 में नया जिला अनूपगढ बन जाने पर प्रकरण उनके क्षेत्राधिकार का होने के कारण जिला अनूपगढ़ में स्थानान्तरित किया गया और जिला अनूपगढ़ का पुनः विलय इस जिले में होने पर प्रकरण पुनः प्रकरण संख्या 96/2025 के रूप में दर्ज हुआ, जिसे प्रार्थी स्थानान्तरित करवाना चाहते है।

चूंकि प्रार्थी जिस प्रकरण को स्थानान्तरित करवना चाहते है वह पूर्व में ही इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 96/2025 अनवन् सुरेन्द्र कुमार बनाम स्टेट के रूप में दर्ज है, जिसमें आगामी तारीख पेशी 30.06.2026 पूर्व निर्धारित है। इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कोई वांछित कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में अन्य कोई प्रार्थना पत्र हो तो उसे भी उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। निर्णय की प्रति इस न्यायालय के उक्त प्रकरण में शामिल की जावे। कार्यवाही पूरी होने के बाद पत्रावली को व्यवस्थित करके अभिलेखागार में रखने के आदेश दिये जाते है।

यह आदेश आज दिनांक 27.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीमानजी